

Conduct of Elections Rules, 1961

(Statutory Rules and Order)

FORM 21C

(See rule 64)


(For use in General Election when seat is contested)

Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People Act
1951

Election to the Legislative Assembly of RAJASTHAN State from
(4) SURATGARH Assembly Constituency.

In pursuance of the provisions contained in section 66 of Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Election Rules, 1961, I declare that SHRI RAMPRATAP KASNIYAN Address JAKHRAWALI, TEHSIL PILIBANGA HAAL ABAD WARD NO. 19, SURATGARH, BHARATIYA JANATA PARTY (name of the recognised political party)] has been duly elected to fill the seat in the House from the above constituency.

Place : Sri Ganganagar
Date : 11/12/2018


(SITA SHARMA)
Returning Officer (S.D.M.)
(04) Suratgarh Assembly Constituency
Returning Officer

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(कानूनी नियम और आदेश)

प्ररूप 21 ग

(नियम 64 देखिये)


(साधारण निर्वाचन उपयोग के लिये, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा 'सूरतगढ़ (04) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से राजस्थान (राज्य / संघ राज्य क्षेत्र) की विधान सभा के लिए निर्वाचन।

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951, की धारा 66 के अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करती हूं कि श्री रामप्रताप कासनियां पता जाखड़ावाली तहसील पीलीबंगा हाल आबाद वार्ड नं. 19, सूरतगढ़ जो भारतीय जनता पार्टी (मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल) द्वारा खड़े किये गए।

उपर्युक्त निर्वाचन क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गये हैं

स्थान सूरतगढ़
दिनांक 11-12-2018


(सीता शर्मा)
रिटर्निंग अधिकारी
(04) सूरतगढ़ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र
उपखण्ड मजिस्ट्रेट, सूरतगढ़